

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/50/2025

रजू दिनांक: 25.04.2025

रजि0 न0 2025/88

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री संजय कुमार, निवासी ग्राम व पोस्ट-नूरनगर,
किशनगढ़बास, खैरथल-तिजारा-301404 (राज0)

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला
कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 09.06.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को ऑनलाईन आवेदन संख्या 293314992402292 दिनांक 19.03.2025 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहते हैं तो दिनांक 05.05.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/919 दिनांक 02.06.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व सूचना आवेदन दिनांक 19.03.2025 के परिपेक्ष्य में सूचना नहीं मिलने बाबत अभिकथन प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी के सूचना आवेदन संख्या 293314992402292 दिनांक 19.03.2025 के संबंध में कार्यालय स्तर पर संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर RTI Online Portal पर पत्र संख्या 7588405135 दिनांक 26.05.2025 के माध्यम से विनिश्चय कर संसूचित किया जा चुका है। तथापि प्रथम अपील के अनुसरण में पूर्व प्रेषित सूचना/विनिश्चय-पत्र की छायाप्रति अपीलार्थी को पुनः उपलब्ध कराई जा रही है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में ऑनलाईन पत्र सं. 7588405135 दिनांक 26.05.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर आवेदक को सूचित किया जा चुका है। तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि क्रमांक सम/920 दिनांक 02.06.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में पुनः सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(डॉ. आर्तिका शक्ला)
जिला कलक्टर
जिला अलवर (राज0)
(राजस्थान)